संख्या : 2432/9–आ–1–अतिक्रमण/2003 (आ. ब.)

प्रेषक,

श्री जे. एस. मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
   उ. प्र. आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।
2. समस्त उपाध्यक्ष,
   विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 4 अप्रैल, 2003

विषय : *प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण के विरूद्ध समयवद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में।*

महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि विकास क्षेत्रों के अन्तर्गत सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण नियंत्रण एवं हटाने हेतु उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा–26 (क) तथा अवैध निर्माण के नियंत्रण, हटाने, सीलबन्द व ध्वस्तीकरण हेतु धारा–27 एवं 28 में प्राविधान निहित है जिनके अनुपालन में अतिक्रमण व अवैध निर्माण के विरूद्ध समन्वित एवं प्रभावी कार्यवाही करने के लिए शासन द्वारा समय–समय पर निम्न शासनादेशों के अधीन विस्तृत दिशा–निर्देशों निर्गत किए गए है :

(1) प्रदेश के नागर क्षेत्रों में सार्वजनिक भूमियों, स्थानों, मार्गों, पटरियों, नालों, नालियों, आदि पर अतिक्रमण निवारण हेतु कार्यवाही, शासनादेश संख्या 1773/9–आ–1–1995, दिनांक 18.5.95।

(2) प्रदेश के नागर क्षेत्रों में सार्वजनिक भूमियों, स्थानों, मार्गों, पटरियों, नालों, नालियों आदि पर अतिक्रमण निवारण हेतु कार्यवाही, शासनादेश संख्या 1195/9–आ–1–1996 दिनांक 13.3.1996।

(3) भूमि एवं भवन का स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध उपयोग करने पर धारा 26(2) के अन्तर्गत कार्यवाही, शासनादेश संख्या 1067/9–आ–3–96 दिनांक 15.3.1996।

(4) विकास क्षेत्रों के अन्तर्गत अनाधिकृत कालोनियों का निर्माण, शासनादेश संख्या 1061/9–आ–3–96/10 काम्प/93, दिनांक 22.3.1996।

(5) अतिक्रमण/अवैध निर्माण के ध्वस्वतीकरण के उपरान्त मलवा, निर्माण सामग्री को मौके से हटाए जाने का व्यय सम्बन्धित निर्माणकर्त्ता से वसूल किया जाना, शासनादेश संख्या 3706/9–आ–3–1996, दिनांक 11.9.96।

(6) प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन भूमि पर अतिक्रमण रोकने और अतिक्रमण न होने देने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारण, शासनादेश संख्या 2611/9–आ–5–1997 दिनांक 23.6.1997।

(7) आवास एवं विकास परिषद के नियंत्रणाधीन भूमि पर अतिक्रमण रोकने और अतिक्रमण न होने देने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारण, शासनादेश संख्या 1502/9–आ–2–1997, दिनांक 23.6.1997।

(8) अतिक्रमण विरोधी अभियान का संचालन, शासनादेश संख्या 4866/9–आ–1–1997, दिनांक 03.9.1997।

(9) उ. प्र. नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम 1997 के अधीन सार्वजनिक मार्ग, फुटपाथ और सार्वजनिक पार्कों, आदि से अतिक्रमण हटाए जाने के सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक का अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 4597 पी/97 दिनांक 26.10.1997।

(10) भवन निर्माण के समय किए गए परिवर्तनों/परिवर्धन के शमन के सम्बन्ध में, शासनादेश संख्या 5402/9–आ–1–1997, दिनांक 11.11.1997।

(11) सार्वजनिक भूमि, मार्गों, आदि पर अतिक्रमण को रोकने एवं हटाए जाने के सम्बन्ध में, शासनादेश संख्या 3958/9–आ–3–97 दिनांक 28.11.1997।

(12) नगरों में शमन योग्य अनधिकृत निर्माण को न गिराए जाने के सम्बन्ध में, शासनादेश संख्या 1991/9–आ–3–97–105 काम/97, दिनांक 29.11.1997।

(13) नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक भूमि, मार्गों, आदि से अतिक्रमण और कब्जा हटाना एवं अतिक्रमण और बाधा न होने देना, शासनादेश संख्या 5878/9–आ–1–1997, दिनांक 08.12.1997।

(14) सड़क के फुटपाथों, नालियों पर से अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में, शासनादेश संख्या 43/9–आ–3–98–12 काम्प/98 दिनांक 09.1.1998।

(15) आवास एवं विकास परिषद को योजनाओं में भूखण्डों व सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण या बाधा हटाने हेतु परिषद के अधिकारियों को आवश्यक प्रतिनिधायन, शाासनादेश संख्या 1175/9–आ–1–1998, दिनांक 30.3.1998।

(16) अनधिकृत निर्माण सीलबन्द नियमावली, 1998 शासनादेश संख्या 4411/9–आ–1–98–199–डी.ए./98 दिनांक 30.11. 1998।

(17) आवास एवं विकास परिषद की योजनाओं में भूखण्डों व सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण या बाधा हटाने हेतु परिषद के अधिकारियों को आवश्यक प्रतिनिधायन, शासनादेश संख्या 2909/9–आ–2–1999, दिनांक 24.12.1999।

(18) सार्वजनिक/प्राधिकरणों की भूमि पर अतिक्रमण/अवैध निर्माण के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही, शासनादेश संख्या 172/9–आ–3–2001, दिनांक 22.01.2001।

(19) अवैध निर्माणों को चिन्हित करते हुए निर्माण अवधि में कार्यरत रहे अभियंताओं की सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में, शासनादेश संख्या 356/9–आ–3–2001–22 काम्प/2001 दिनांक 06.02.2001।

(20) सार्वजनिक भूमि/प्राधिकरणों की भूमि पर अतिक्रमण/अवैध निर्माण के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही, शासनादेश संख्या 1664/9–आ–3–2001–289 काम्प/98 दिनांक 18.4.2001।

(21) नियोजित रूप से विकसित कालोनियों में भूमि/भवनों के अवैध उपयोग के विरूद्ध कार्यवाही, शासनादेश संख्या 2444/9–आ–3–2001, दिनांक 15.5.2001।

(22) अनधिकृत कालोनियो के नियमितीकरण के सम्बन्ध में, शासनादेश संख्या 5097/9–आ–3–2001, दिनांक 26.5.2001।

(23) स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत भू–उपयोग परिवर्तन हेतु निर्धारित प्रक्रिया में संशोधन तथा अशमनीय उल्लघंनों के विरूद्ध कार्यवाही, शासनादेश संख्या 2583/9–आ–3–2001–22 काम्प/2001 दिनांक 13.6.2001।

(24) अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण एवं अनधिकृत कब्जे/अवैध निर्माण के विरूद्ध की जा रही ध्वस्तीकरण की कार्यवाही, शासनादेश संख्या 2657/9–आ–3–2001–19 काम्प/2001 दिनांक 25.6.2001।

(25) अतिक्रमण/अवैध निर्माण के नियन्त्रण हेतु अभियान चलाना तथा अतिक्रमण/अवैध निर्माण हेतु उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही, शासनादेश संख्या 1335/9–आ–3–2001–22 काम्प/2001 दिनांक 19.7.2001।

2. शासन के संज्ञान में आया है कि अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण निवारण हेतु उत्तरदायी विकास प्राधिकरणों, स्थानीय अभिकरणों तथा राजस्व व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों द्वारा समन्वित रूप से प्रभावी कार्य नहीं की जा रही है जिससे नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण की कुप्रवृत्ति दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके परिणामस्वरूप जहां एक ओर शहरों का नियोजित विकास प्रभावित हो रहा है वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक स्थलों यथा, सड़क, पटरियों, फुटपाथ, पार्किंग क्षेत्रों, आदि के दुरूपयोग से यातायात में व्यवधान होने के साथ–साथ पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भी बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त विकास प्राधिकरणों तथा शासन की सम्पत्ति को क्षति के साथ–साथ उनकी छवि भी धूमिल हो रही है।

3. शासन की उपेक्षा है कि समस्त विकास प्राधिकरण अधिनियम में प्रदत्त अधिकारों एवं शक्तियों का समुचित उपयोग करते हुए और अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मानसिकता में परिवर्तन लाएं तथा सार्वजनिक भूमि के संरक्षण को सर्वोच्च दायित्व के रूप में ग्रहण करें। अतएव, उपरिलिखित शासनादेशों में की गयी व्यवस्था को समायोजित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण के विरूद्ध निम्न प्राथमिकताओं के अनुसार ठोस एवं परिणामकारक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएं :

3.1 सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण के विरूद्ध कार्यवाही

सार्वजनिक सड़क, फुटपाथ, नाली, पार्क, ग्रीन बेल्ट, वन क्षेत्र, नदी–नालों, तालाबों के अन्तर्गत तथा शासकीय एवं विकास प्राधिकरणों की भूमि पर हुए अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण को शीर्ष प्राथमिकता पर हटाना आवश्यक है। इस हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जाए :

3.1.1. सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण के विरूद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–26(क), (ख), (ग) के अधीन कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। अतिक्रमणकर्ता/अवैध निर्माणकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही के साथ–साथ ऐसे अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण रोकने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध भी अनिवार्य रूप से दण्डात्मक कार्यवाही की जाए।

3.1.2 अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण को हटाने के लिए अभियान चलाया जाए। अभियान प्रारम्भ करने से पूर्व सभी स्थानीय जन–प्रतिनिधियों, नगरपालिकाओं के प्रतिनिधि तथा प्रशासनिक व अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों की बैठक बुलाई जाए और अतिक्रमण निवारण अभियान पर खुली चर्चा की जाए। अतिक्रमण के कारण यातायात में होने वाली असुविधा एवं अन्य प्रकार की कठिनाईयों, जेसे नाली बन्द होने, जल–भराव की समस्या, सड़कों का उखड़ना, प्रदूषण, आदि के बारे में एवं इसके निवारण हेतु अधिनियम में किए गए प्राविधानों की जानकारी भी बैठक में दी जाए, जाकि किसी प्रकार की भ्रान्ति न रहने पाए और अभियान का क्रियान्वयन समन्वित रूप से हो सके।

3.1.3 अभियान का प्रारम्भ करने से पूर्व स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए तथा स्थल पर अवर अभियन्ताओं के माध्यम से निशान लगावाए जाएं। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने पर वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम द्वारा स्थल निरीक्षए किया जाए और लोगों की शंकाओं/शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया जाए तथा जनता को इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि निर्माणकर्ता निर्धारित समय के अन्दर स्वयं अतिक्रमण हटा लें। उक्त अवधि के उपरान्त अतिक्रमण हाटाने हेतु समन्वित रूप से अभियान प्रारम्भ किया जाए।

3.1.4 सम्बन्धित क्षेत्र के निवासियों को भी समस्या से अवगत कराते हुए अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण को हटाने में सहयोग करने की अपील की जाए। इस हेतु यथासम्भव रेजीडेन्ट एसोसिएशन्स का सहयोग प्राप्त किया जाए जिससे इस प्रकार के अतिक्रमण बलपूर्वक हटाने के बजाय स्वैच्छिक ढंग से हटाए जा सकें। इस बात का ध्यान रखा जाए कि अभियान का लक्ष्य अतिक्रमण हटाना है न कि किसी व्यक्ति को नुकसान पहुँचाना। अतः बिना किसी व्यक्ति के प्रभाव में आए तटस्थ भूमिका निभाते हुए कार्यवाही की जाए।

3.1.5 अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमि का समुचित रख–रखाव सुनिश्चित किया जाए ताकि पुनः उस पर अतिक्रमण न होने पाए। मुक्त कराई गई भूमि का विकास एवं निर्माण कार्यों में उपयोग किया जाए तथा उपयोगी भूमि का

विक्रय/निस्तारण कर संसाधनों में वृद्धि की जाए। इसी प्रकार सड़क व फुटपाथ, आदि से अतिक्रमण हटाने के तुरन्त पश्चात् सड़क का विस्तारीकरण, एवं उचित रख–रखाव किया जाए।

3.2 निजी भवन एवं भूमि पर किए गए अवैध निर्माण के विरूद्ध कार्यवाही

निजी भवनों एवं भूमि पर किए गए विभिन्न प्रकृति के अनाधिकृत निर्माणों के विरूद्ध निम्नानुसार कार्यवाही की जाए :

3.2.1 ग्रुप हाउसिंग तथा व्यवसायिक काम्पलेक्सेज में स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध किए कए निर्माण जिनमें भवन उपविधि के प्राविधानों यथा सेट बैक, भू–आच्छादन, एफ. ए. आर. पार्किंग, अग्निशमन सुरक्षा तथा संरचनात्मक सुरक्षा, आदि अपेक्षाओं का उल्लंघन निहित है, को हटाने/नियन्त्रित करने हेतु प्राथमिकता दी जाए। ऐसे भवनों में अवैध निर्माण को प्रारम्भ से ही न होने दिया जाए तथा ध्वस्तीकरण के अधिकार का प्रभावी उपयोग किया जाए। यदि अवैध निर्माण प्रगति में है तो उसे सील किया जाए और किसी भी दशा में निर्माण छत की स्टेज तक न बढ़ने दिया जाए। सभी विधिक उपायों का प्रभावी उपयोग किया जाए और सील करते समय फोटोग्राफी/वीडियाग्राफी कराई जाए जिसके व्यय की सवूली बाद में अवैध निर्माणकर्त्ता से की जाए।

3.2.2 ऐसे अवैध निर्माण जो महायोजना एवं भवन उपविधि के अनुसार शमनीय हैं, का शमन कराने हेतु निर्माणकर्ताओं को नोटिस जारी किए जाएं और एक निख्चित समयावधि का अवसर प्रदान करते हुए शमन कराना अनिवार्य किया जाए। निर्धारित अवधि में शमन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त न होने की दशा में नियामनुसार ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाएं।

3.2.3 ऐसे अवैध निर्माण जो शमनीय नहीं हैं, को चिन्हित कर उनके ध्वस्तीकरण हेतु निर्माणकर्ता को दिर्नेशित किया जाए। निर्धारित अवधि में निर्माणकर्ता द्वारा यदि स्वयं ध्वस्तीकरण नहीं किया जाता है, तो विकास प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाए।

3.2.4 ऐसे अवैध निर्माण जिन्हें पूर्व में इसशर्त के साथ शमन किया गया था कि अशमनीय भाग का ध्वस्तीकरण आवेदक द्वारा स्वयं कर लिया जाएगा, को चिन्हित किया जाए। यदि आवेदक द्वारा अशमनीय भाग ध्वस्त नहीं किया गया है, तो प्राधिकरण द्वारा स्वयं ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाए।

3.3 निर्धारित भू–उपयोग के विपरीत किए गए निर्माण के विरूद्ध कार्यवाही

महायोजना/ले–आउट में निर्धारित भू–उपयोग के विपरीत किए गए विभिन्न प्रकृति के अवैध विकास एवं निर्माण के विरूद्ध निम्नानुसार कार्यवाही की जाए :

3.3.1 भूमि के अनधिकृत उप–विभाजन यथा कृषि उपयोग में आवासीय कालोनी या अन्य अवैध निर्माण के नियमितीकरण हेतु संगत शासनादेशों/नीति के अधीन कार्यवाही की जाए। जो विकासकर्ता/भवन स्वामी नियमितीकरण हेतु आवेदन नहीं करते हैं अथवा ऐसे निर्मार्ण जो नियमितीकरण की नीति से आच्छादित न हों, के विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक एवं ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में ऐसे अनधिकृत विकास एवं निर्माण पर नियन्त्रण हेतु अधिनियम की धारा 26, 27 व 28 के अधीन प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

3.3.2 भूमि एवं भवन का महायोजना अथवा ले–आउट प्लान में निर्धारित उपयोग के विरूद्ध निर्माण (यथा आवासीय भूखण्डों/भवनों का दुकान/कार्यालय या अन्य व्यापारिक प्रयोजनों हेतु उपयोग) के चिन्हीकरण हेतु कालोनियों का सर्वेक्षण कराया जाए और ऐसे भूखण्डों एवं भवनों की सूची तैयार कर फोटोग्राफी भी कराई जाए। सूची को स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाए जिसमें अवैध निर्माणकर्ता से यह अपेक्षा की जाए कि निर्धारित अवधि में अवैध उपयोग को स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप कर लें। **उक्त अवधि के लिए भू–स्वामी से अधिनियम की धारा–16 के अधीन नॉन–कान्फार्मिंग शुल्क लिया जाए जिसकी दरें विकास प्राधिकरण बोर्ड में निर्णय लेकर निर्धारित की**

जाएं। अवधि पूर्ण होने पर जिन भूस्वामियों द्वारा भूमि/भवन का उपयोग स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप नहीं कर लिया जाता है उनके विरूद्ध धारा–26 (2) के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही की जाए।

3.3.3 महायोजना अथवा ले–आउट प्लान में भू–उपयोग परिवर्तन हेतु कार्यवाही यथास्थिति अधिनियम एवं संगत शासनादेशों के अन्तर्गत विहित प्रक्रियानुसार पूर्ण की जाए।

4. मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण के विरूद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में निम्न निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

4.1 अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण के नियन्त्रण हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए। विकास प्राधिकरण द्वारा नगर को जोन्स में बाँटकर जोनल अधिकारी नामित किए जाएं जिन पर अतिक्रमण हटाने व रोकने का दायित्व रहेगा। अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण हेतु अवर अभियंता, सहायक अभियंता का प्राथमिक उत्तरदायित्व होगा, जबकि अधिशाषी अभियंता एवं संयुक्त सचिव का पर्यवेक्षण हेतु उत्तरदायित्व होगा। जिन अधिकारियों की शिथिलता के कारण अतिक्रमण हुए हैं, ऐसे मामलों में उन्हें दण्डित किया जाए, ताकि अतिक्रमण के विरूद्ध एक प्रभावी प्रशासनिक वातावरण सृजित हो सके जो स्थायी रहे। यदि इस कार्यवाही के उपरान्त कोई नया अतिक्रमण होता है तो सम्बन्धित जोनल अधिकारी के विरूद्ध तत्काल अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जाए और दोषी अधिकारी को दण्डित किया जाए।

4.2 अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण के विरूद्ध एक महौल बनाया जाए और विशेष अभियान चलाया जाए तथा मीडिया के माध्यम से जन–सहयोग प्राप्त किया जाए एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं से समन्वय स्थापित कर उनका भी सहयोग प्राप्त किया जाए।

4.3 कतिपय अतिक्रमित स्थानों पर यदि आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के परिवार/व्यक्ति निवास कर रहे हों, तो ऐसा अतिक्रमण हटाने से पूर्व धारा–26 (क) के अधीन उन्हें पुनर्वासित करने की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाए।

4.4 अतिक्रमणकारियों का राशनकार्ड, बिजली, पानी आदि के कनैक्शन विच्छेदन तथा उन्हें पुनः यह सुविधा न दिए जाने हेतु सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही की जाए।

4.5 किसी स्थल से अतिक्रमण हटाने के बाद वहाँ दोबारा अतिक्रमण न होने पाए इस हेतु नियोजित व्यवस्थानुसार सम्बन्धित विभाग/निकाय से समन्वय स्थापित कर कार्यवाही की जाए। यदि ऐसे स्थलों पर पुनः अतिक्रमण होता है, तो उत्तरदायित्व अधिकारी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए।

4.6 अतिक्रमण हटाने व अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के उपरान्त मलवा, निर्माण सामग्री, सामान, आदि मौके पर ही छोड़ दिया जाता है जिससे बाद में इसी सामग्री का उपयोग कर पुनः अनाधिकृत निर्माण करने का प्रयास किया जाता है। अतः छोड़ी गई सामग्री भी मौके से सत्काल हटायी जाए। अतिक्रमण हटाने पर हुए व्यय की वसूली सम्बन्धित व्यक्ति से की जाए।

4.7 अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण की स्थिति को देखते हुए आवश्यक है कि सार्वजनिक स्थलों के रख–रखाव से सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मारियों को अतिक्रमण हटाने के उत्तरदायित्व के बारे में पूरी तरह सचेत कर दिया जाए और जन–सामान्य को भी शासन की इस मंशा से अवगत करा दिया जाए कि सार्वजनिक स्थलों का संरक्षण उसी प्रकार किया जाए जिस प्रकार लोग अपनी निजी सम्पत्ति का संरक्षण करते हैं।

5. आपसे अपेक्षा की जाती है कि अतिक्रमण एवं अवैध निर्माणों के विरूद्ध उपरोक्तानुसार ठोस एवं प्रभावी कार्यवाही को सर्वोच्च प्राथमिकता दें ताकि नगरों के सुनियोजित विकास की परिकल्पना साकार हो सके और विकास प्राधिकरणों तथा शासन की छवि में सुधार हो सके। शासन द्वारा अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण निवारण की प्रगति का नियमित अनुश्रवण आवास बन्धु के माध्यम

से विकास प्राधिकरणों की मासिक समीक्षा बैठकों में किया जाएगा तथा शिथिलता के लिए सम्बन्धित विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व होंगे।

भवदीय,

(जे. एस. मिश्र)

सचिव

संख्या : 2432 (1)/9–आ–1–अतिक्रमण/2003/(आ. ब.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित :

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
4. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
5. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त नियन्त्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
9. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु।
10. समस्त अनुभाग अधिकारी, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।

आज्ञा से,

(संजय भूसरेड्डी)

विशेष सचिव